

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-4198/चि0-3-16-टी0-1(269)/2016  
लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 अवनीश कुमार, बालरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11578, लेवल-3), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए जिला चिकित्सालय, अमरोहा में बालरोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 अवनीश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

डा0 सारिका मोहन  
विशेष सचिव

संख्या-4198(1)/चि-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अमरोहा को उनके पत्र दिनांक 02-12-2016 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अमरोहा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर/अमरोहा।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
12. चिकित्सा अनुभाग-2/8
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या- रच २४ २५ / चि०-३-१७-टी०-१(४१)/२०१६

लखनऊ : दिनांक २५ मार्च, २०१७

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-१२७/२०१६/१७४६/चि०-३-१६-टी०-१(१३४)/२०१६, दिनांक २१-०७-२०१६ द्वारा डा० अनिल कुमार तिवारी, पैथालाजिस्ट/निश्चेतक (वरि०क्र०-११९४२, ले०-२), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली का जनहित में एफ०आर०यू० सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैर जलालपुर, अम्बेडकरनगर में किया गया स्थानान्तरण सम्यक विचारोपरान्त आगामी स्थानान्तरण सत्र तक के लिए एतद्वारा स्थगित किया जाता है।

२- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक २१-०७-२०१६ इस सीमा तक संशोधित पढ़ा/समझा जाय।

डा० सारिका मोहन

विशेष सचिव

संख्या- रच २४ २५ (१)/चि०-३-१७, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
२. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
३. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/ फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
४. मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली।
५. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एफ०आर०यू० सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैर जलालपुर, अम्बेडकरनगर।
६. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली/अम्बेडकरनगर।
७. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एफ०आर०यू० सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैर जलालपुर, अम्बेडकरनगर।
८. निजी सचिव, मा० मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
९. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
१०. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-२ संशोधित करने का कष्ट करें।
११. चिकित्सा अनुभाग-२/४/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे० एल० यादव)

अनु सचिव

१- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

२- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।